

## जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)

मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमपीएसडीएमए), गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार संसद द्वारा पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। अधिनियम ने भारत में आपदा प्रबंधन की त्रिस्तरीय प्रणाली का निर्माण किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) बनाया गया है, जिसका नेतृत्व भारत के माननीय प्रधान मंत्री करते हैं, जिसमें पूर्णकालिक उपाध्यक्ष और कई विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं।

इसी तरह, मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमपीएसडीएमए) को राज्य स्तर पर बनाया गया है, जिसके प्रमुख राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्णकालिक उपाध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री रैंक के साथ) और कुछ विशेषज्ञ इसके सदस्य (के मंत्री के साथ) हैं। राज्य रैंक।

## जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण - गुना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (धारा 25) के प्रावधानों के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण - गुना का गठन गुना जिला, म.प्र. जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) का गठन किया गया है।

### जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना - गुना

| विभाग और पदनाम                       | जिला अधिकारी पद         | कार्यालय का नम्बर |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| जिला कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी     | अध्यक्ष                 | 07542-255626      |
| पुलिस अधिकारी                        | सदस्य                   | 07542-256300      |
| अपर कलेक्टर                          | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 07542-251636      |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत  | सदस्य                   | 07542-254309      |
| मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | सदस्य                   | 07542-253646      |
| कार्यपालक अभियंता जल संसाधन          | सदस्य                   | 07542-256415      |
| कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण        | सदस्य                   | 07542-252608      |
| जिला सैनी होमगार्ड                   | सदस्य                   | 07542-250266      |
| उप निदेशक पशु चिकित्सा एवं चिकित्सा  | सदस्य                   | 07542-252422      |
| जिला शिक्षा अधिकारी                  | सदस्य                   | 07542-252597      |

## आपातकाल के दौरान महत्वपूर्ण संपर्क नंबर

| SNo. | आपातकालीन संपर्क  | Telephone Number |
|------|---|------------------|
| 1    | कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट                                | 07542 255626     |
| 2    | पुलिस अधीक्षक   |                  |
| 3    | जिला कमांडेंट होमगार्ड                                    |                  |
| 4    | टोल फ्री आपातकालीन संपर्क नंबर                            |                  |
| 5    | आपदा वसूली के लिए जिला कमान और नियंत्रण केंद्र (डीसीसीसी) |                  |
| 6    | पुलिस   | 100              |
| 7    | आग  | 101              |
| 8    | रोगी वाहन   | 108              |
| 9    | शासकीय जिला अस्पताल                                       | 084878 38513     |

### जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी/सलाहकार

आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) की धारा (29) के अनुसार राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को ऐसे अधिकारी, सलाहकार और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो जिला प्राधिकरण के कार्यों को करने के लिए आवश्यक समझे।

सलाहकार आपदा प्रबंधन - गुना जिला मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

संपर्क: ईमेल आईडी: gunaddma@gmail.com, राहतगुना@gmail.com

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा (31) के अनुसार, जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) 2018 के लिए तैयार की गई है और 2021 से अपडेशन प्रक्रिया जारी है।

महत्वपूर्ण लिंक:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण <https://ndma.gov.in/>
- मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण <http://mpsdma.mp.gov.in/>
- जिला आपदा प्रबंधन योजना (अनुरोध पर उपलब्ध)